सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 68/2017 अनवानी श्री जयप्रकाश निवासी मकान नम्बर 676 एम आई ए द्वितीय फेज बासनी जोधपुर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

21–11–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जय प्रकाश उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जयप्रकाश ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

1. प्रशासन शहरो, गांवो की ओर कार्यक्रम 2012 के तहत राज0 नहर हेतु अवाप्त भूमि के एवज में अन्य स्थान पर भूमि प्राप्त करने हेतु आंवटन अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के सम पत्रांक जेएमडी/प्र0श0/गा0 की ओर/राज0 नहर/अवाप्ति/आ0/मुआवजा/2015/202/10 दिनांक 10.12.2016 को आवेदन किया था इस आवेदन के सन्दर्भ में आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाए चाहिये।
2. प्रशासन शहरों/गावों की ओर कार्यक्रम 2012 के तहत राजस्थान नहर हेतु बिना प्रार्थीया की अनुमति के कब्जा करने पर भूमि कब्जा मुक्त करवाने हेतु आवंटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पत्रांक जेएमडी/प्र0श0/गांव की ओर/राज0 की ओर/राज0 नहर/अवाप्ति/आ0/मुआवजा/2015/202/24 दिनांक 06.04.2017 को आवेदन किया था। इस आवेदन के सन्दर्भ में आरटीआई के तहत बिन्दुवार सूचनाए चाहिये।
3. मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर–2017 विधायक आपके द्वार अभि0 2017 मेरा गांव मेरी सरकार 2017 आदि आदि के तहत राज0 नहर हेतु बिना प्रार्थीया की अनुमति के भूमि पर कब्जा करने पर भूमि को अतिक्रमण/कब्जा मुक्त करवाने हेतु आवंटन अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष पत्रांक जीएमडी/मुख्यमंत्री/जन कल्याण शिविर–2017/राज0 नहर/आवप्ति/आ0/मुआवजा/2015/202/26 दिनांक 08.06.2017 को आवेदन किया था। इस आवेदन के सन्दर्भ में आरटीआई के तहत बिन्दुवार सूचनाए चाहिये।
4. प्रशासन शहरों/गांवो की ओर कार्यक्रम के तहत राज0 नहर हेतु अवाप्त भूमि का अंतिम प्रतिवेदन/मुआवजा प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया था। उक्त अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को कार्यालय पत्रांक 840 दिनांक 17.04.2015, 973 दिनांक 04.06.2015, 1010 दिनांक 19.06.2015, 1093–94 दिनांक 14.08.2015, 1120–21 दिनांक 24.08.2015, 1122 दिनांक 25.09.2015ख 1123 दिनांक 25.08.2015 को भेजना दर्शाया है इन आवेदनो के सन्दर्भ में आरटीआई एक्ट तहत बिन्दुवार सूचनाये चाहिये जो इस प्रकार से है।
   (ए) मेरे द्वारा उक्त आवेदन प्रकरण निस्तारण हेतु किये गये थे। कृपया मेरे आवेदनों पर हुई दैनिक उन्ति बताएं अर्थात मेरा आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुंचा, उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहा और उसने उतने समय तक आवेदन का क्या किया।
   (बी) नियमों के अनुसार मेरे आवेदन पर कितने कार्य दिवसों में कार्यवाही पूर्ण हानी चाहिये जबकि प्रकरण 1972 से लम्बित है।
   (सी) मेरे आवेदन पर काफी समय व्यतीत हो चुका है अर्थात प्रकरण 45 वर्ष पूर्व का है। कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बतांए जिससे यह आश की जाती है कि वे मेरे आवेदन पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की।

(डी) उन अधिकारियों के विरूद्ध अपना कार्य न करने व जनता के शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय प्रमाण जानकारी दे।
(ई) यह कार्यवाही कब तक की जायेगी मय प्रमाण जानकारी दे।
(एफ) मेरे आवेदनो पर कार्यवाही सम्पन्न नही होने पर कुल कितने स्मरण पत्र भेजे गये मय प्रमाण जानकारी दे।
(जी) अब मुझे कब तक अपने आवेदनो पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की जानकारी मिल जायेगी मय प्रमाण सूचनायें बिन्दुवार दे।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना समय सीमा में उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2781 दिनांक 27.09.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 2688 दिनांक 01.09.2017 के द्वारा पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है जो निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है:-

बिन्दु संख्या	प्रश्न	उत्तर
1	प्रशासन शहरो, गांवो की ओर कार्यक्रम 2012 के तहत राज0 नहर हेतु अवाप्त भूमि के एवज में अन्य स्थान पर भूमि प्राप्त करने हेतु आंवटन अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के सम पत्रांक जेएमडी/प्र0श0/गा0 ओर/राज0 नहर/अवाप्ति/आ0/मुआवजा/2015/202/10 दिनांक 10.12.2016 को आवेदन किया था इस आवेदन के सन्दर्भ में आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाए चाहिये।	उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा अपने पत्रांक 153 दिनांक 27.05.2016 द्वारा आपको विस्तृत रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी है। आपका प्रकरण मूल पत्रावली सहित जिला कलक्टर जैसलमेर को कार्यालय पत्रांक 1370-1371 दिनांक 03.02.2016 द्वारा भिजवाया जा चुका है जिसकी सूचना आपको भी दी गई है ।
2	प्रशासन शहरों/गावं की ओर कार्यक्रम 2012 के तहत राजस्थान नहर हेतु बिना प्रार्थीया की अनुमति के कब्जा करने पर भूमि कब्जा मुक्त करवाने हेतु आवंटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पत्रांक जेएमडी/प्र0श0/गांव की ओर/राज0 की ओर/राज0 नहर/अवाप्ति/ आ0/ मुआवजा/ 2015/ 202/24 दिनांक 06.04.2017 को आवेदन किया था। इस आवेदन के सन्दर्भ में आरटीआई के तहत बिन्दुवार सूचनाए चाहिये।	
3	मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर-2017 विधायक आपकेद्वार अभि0 2017 मेरा गांव मेरी सरकार 2017 आदि आदि के तहत राज0 नहर हेतु बिना प्रार्थीया की अनुमति के भूमि पर कब्जा करने पर भूमि को अतिक्रमण/कब्जा मुक्त करवाने हेतु आवंटन अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष पत्रांक जीएमडी/मुख्यमंत्री/जन कल्याण शिविर-2017/राज0 नहर/आवप्ति/आ0/मुआवजा/2015/202/26 दिनांक 08.06.2017 को आवेदन किया था। इस आवेदन के सन्दर्भ में आरटीआई के तहत बिन्दुवार सूचनाए चाहिये।	

4	प्रशासन शहरों/गांवो की ओर कार्यक्रम के तहत राज0 नहर हेतु अवाप्त भूमि का अंतिम प्रतिवेदन/मुआवजा प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया था। उक्त अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को कार्यालय पत्रांक 840 दिनांक 17.04.2015, 973 दिनांक 04.06.2015, 1010 दिनांक 19.06.2015, 1093–94 दिनांक 14.08.2015, 1120–21 दिनांक 24.08.2015, 1122 दिनांक 25.09.2015ख 1123 दिनांक 25.08.2015 को भेजना दर्शाया है इन आवेदनो के सन्दर्भ में आरटीआई एक्ट तहत बिन्दुवार सूचनाये चाहिये जो इस प्रकार से है। (ए) मेरे द्वारा उक्त आवेदन प्रकरण निस्तारण हेतु किये गये थे। कृपया मेरे आवेदनों पर हुई दैनिक उन्ति बताएं अर्थात मेरा आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुंचा, उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहा और उसने उतने समय तक आवेदन का क्या किया। (बी) नियमों के अनुसार मेरे आवेदन पर कितने कार्य दिवसों में कार्यवाही पूर्ण हानी चाहिये जबकि प्रकरण 1972 से लम्बित है। (सी) मेरे आवेदन पर काफी समय व्यतीत हो चुका है अर्थात प्रकरण 45 वर्ष पूर्व का है। कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बतांए जिससे यह आश की जाती है कि वे मेरे आवेदन पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की। (डी) उन अधिकारियों के विरूद्ध अपना कार्य न करने व जनता के शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय प्रमाण जानकारी दे। (ई) यह क़ार्यवाही कब तक की जायेगी मय प्रमाण जानकारी दे। (एफ) मेरे आवेदनो पर कार्यवाही सम्पन्न नही होने पर कुल कितने स्मरण पत्र भेजे गये मय प्रमाण जानकारी दे। (जी) अब मुझे कब तक अपने आवेदनो पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की जानकारी मिल जायेगी मय प्रमाण सूचनायें बिन्दुवार दे।	जहा तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।

यदि आप प्रकरण से संबंधित किसी अभिलेख का अवलोकन करना चाहें तो कार्यालय दिवस में कर सकते है और चिन्हित रिकार्ड की प्रतिलिपी नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार बिन्दू सं0 1 से 3 की सूचना के लिए सूचित किया जा चुका है कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा विस्तृत सूचना पत्र सं0 153 दि0 27.05.16 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है एव मूल प्रकरण जिला कलक्टर जैसलमेर को पत्र सं0 1370–1371 दिनांक 03.02.2016 के द्वारा भिजवाया जा चुका है। बिन्दू संख्या 4 में चाही गई सूचना निश्चित नही होने से एवं प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध नही करवाई गई है।

जिला कलेक्टर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सूचना एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 01.09.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर